

कार्यालय जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्टर बांसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002

E-mail ID : rajban@nic.in (NIC)
bsw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :- एफ 2 () राजस्व/2017/ 399

दिनांक :- 27 मार्च, 2018

संयुक्त शासन सचिव,
उपनिवेशन विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :- उच्च प्राथमिक विद्यालय कोठारा के निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में प्रधानाचार्य, उच्च प्राथमिक, विद्यालय कोठारा के भवन निर्माण हेतु ग्राम केवडीया में निम्नानुसार भूमि आवंटन कराने निवेदन किया है :-


क्र.स.	नाम ग्राम	पटवार मण्डल	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (बीघा में)	प्रस्तावित रकबा (बीघा में)	किस्म
1	केवडीया	तलवाड़ा	2049/1	27.04 बीघा	8.00 बीघा	भू.दि.

उक्त भूमि माही परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। उक्त संस्था के द्वारा, विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि आवंटन करने निवेदन किया है।

निजी संस्था/समाज को भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1963 के नियम 4 के अनुसार भूमि आवंटन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम केवडीया में स्थित श्री सरकार भूमि रकबा 8.00 बीघा, उच्च प्राथमिक विद्यालय कोठारा के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने मय आवश्यक अभिलेख सहित मूल प्रस्ताव प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा

भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में चैक लिस्ट

1.	जिले का नाम	बांसवाड़ा
2.	आवेदक संस्था का नाम, पता एवं अन्य विवरण	विधानिकेत्तन उ.प्रा.वि. कोठारा
3.	संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	77/बांसवाड़ा/205-2016 दिनांक 16-11-2015 की प्रति।
4.	संस्था का गत तीन साल का आय-व्यय का विवरण	वर्ष 2014-15 वर्ष 2015-16 वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट संलग्न है।
5.	प्रस्तावित आवंटन का प्रयोजन	विधालय एवं आवासीय विधालय।
6.	कौनसे नियमों के तहत आवंटन प्रस्तावित किया गया है।	राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963
7.	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक-संसाधनों का विवरण	विगत 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न हैं। शिक्षण शुल्क एवं विद्या भारती चित्तौड़ प्रान्त से अनुदान प्राप्त होता है।
8.	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है ? उसका विवरण	वर्ष 2015 से पंजीकृत है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1987 से संस्था संचालित है।
9.	आवंटन हेतु आवेदित भूमि का विवरण	ग्राम केवडीया की आराजी नंबर 2049/1 कुल रकबा 27.04 बीघा मे से 8.00 बीघा किस्म भू.दि.
10.	आवेदित भूमि चरागाह तो नहीं है ?	नहीं।
11.	यदि आवेदित भूमि चरागाह है तो ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	आवेदित भूमि चरागाह नहीं है।
12.	चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि का विवरण	-
13.	आवेदित भूमि की वर्तमान डीएलसी दर	395700/- प्रति बीघा।
14.	आवेदित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	395700/- प्रति बीघा।
15.	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण व औचित्य	नहीं।
16.	भूमि की स्थिति यथा -ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय सीमा, नगरीय परिधीय सीमा	ग्रामीण क्षेत्र है।
17.	यदि आवेदित भूमि नगरीय सीमा/ परिधीय क्षेत्र में है, तो नगरपालिका/नगर परिषद की सहमति	ग्रामीण क्षेत्र है। ग्राम पंचायत की अनापत्ति संलग्न है।
18.	अगर आवेदित भूमि मास्टर प्लान में है तो नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
19.	क्या प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार है या भू-उपयोग परिवर्तन करना होगा।	नहीं
20.	राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य राजमार्ग से दूरी	राजमार्ग से 12 कि.मी की दूरी पर।
21.	आवेदित भूमि किस सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में है?	माही कमाण्ड क्षेत्र
22.	संस्था द्वारा भू-आवंटन हेतु प्रयोजन	शिक्षण हेतु
23.	जो प्रयोजन बताया गया है, क्या सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा है ?	नियमानुसार।
24.	आवेदित प्रयोजन के लिये निर्धारित नार्म्स से अधिक भूमि चाही गई है तो उसका औचित्य	नहीं
25.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी, यदि हां तो उसका विवरण	हां- पूर्व में ग्राम केवडीया में 1.00 बीघा भूमि आवंटन हुई है।
26.	परियोजना / प्रयोजन का क्षेत्र के लोगों का क्या	समस्त वर्ग के विधार्थियों को शिक्षण हेतु।

	लाम मिलेगा ?	
27.	आवेदित भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन प्रकरण/ स्थगन आदेश आदि का विवरण	नहीं।
28.	क्या भूमि पर पूर्व में कोई निर्माण है ?	नहीं।
29.	अगर भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	नहीं।
30.	संलग्न दस्तावेजात का विवरण (जमाबन्दी, राजस्व नक्शा, तहसीलदार की रिपोर्ट, नगरपालिका / ग्राम पंचायत की एनओसी, नगर नियोजन विभाग की राय आदि)	संलग्न है।
31.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की तो नहीं है।	नहीं

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है और वर्णित तथ्य सही है। तदनुसार भूमि के आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा



विद्या भारती से संबद्ध

निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोठारा

क्रमोन्नत वर्ष-2005-07

शा.प्रथार सगिति
डि.रुण गजरी से. 4
313002 (राज.)



विद्यारसदः
त्रिपुरा सुन्दरी रोड
गार्डनल इरिया के बीछे
कोठारा शि. बांसवाडा (राज.)

44/2015-16

दिनांक 18-08-2015

श्रीमान् जिलाधीस महोदय,
जिलाधीस कार्यालय,
बांसवाडा।

विषय:- विद्यालय को भूमि आवंटन करवाने बाबत।

मान्यवर महोदय जी,

विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोठारा तलवाडा जिला बांसवाडा सत्र 1989 से त्रिपुरा सुन्दरी के पास चल रहा है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर का कम्पोनत सत्र 2005 में हो गया।

विद्यालय के साथ - साथ एक छात्रालय भी प्रारम्भ हो गया है। सत्र 2016-17 जुलाई से विद्यालय सैकण्डरी स्तर तक का कम्पोनत की योजना है।

वर्तमान में विद्यालय में 28 गाँवों के 215 भैया/ बहिन अध्ययन करते हैं, जो 7-8 किमी पैदल चल कर आते हैं। प्रारम्भ में विद्यालय 15 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा देता रहा है एवं वर्तमान में भी न्यूनतम शुल्क लेकर विद्यालय पूर्ण रूप से समाज के सहयोग से ही चल रहा है।

विद्यालय का शैक्षिक स्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आठवीं बोर्ड का परिणाम शत प्रतिशत रहता है। यहां से बालक पढ़कर उच्च शिक्षा हेतू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, सीकर, नागौर आदि जिलों में भी पढ़ने गये हैं। यह क्षेत्र अभाव से ग्रसीत है। चूंकि यहाँ तीन तहसीलों की सरहदे मिलती हैं। सड़क, पानी बिजली की व्यवस्था भी विद्यालय के माध्यम से जन जागृति करके पहुँचाई है। चिकित्सकीय सुविधा भी बहुत कठीनता से उपलब्ध होती है।

अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि आठ बीघा जमीन उपलब्ध करवाने की कृपा करें। विद्यालय का भवन सैकण्डरी भवन में नये कक्षा कक्ष के साथ खेल मैदान भी बालकों की उपलब्ध करवाया जा सके।

विद्यालय के पास 07 बीघा 4 विसवा जमीन से 01 बीघा जमीन विद्यालय के पास है तथा पास ही पहाड़ी क्षेत्र की भूमि पड़त पड़ी है। तलवाडा पटवारी क्षेत्र में जानकारी कर हमें जमीन उपलब्ध हो जाती है तो बालकों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा।

इति शुभम् !

भवदीय

प्रधानाचार्य

विद्या निकेतन कोठारा, तलवाडा